

फर्ट अहकॉम

(नियम 26)

सहायक कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी

पुत्री सुनील कुमार राव जाति पार ब. नाम (1) मुला राम पुत्र बेदाराम कोटा (2) जाति पार नि गोलेया (3) तहसीलदार गुडामालानी

किस्म मुकदमा राजखवादा अधि. मुकदमा नम्बर 63/22

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
6/22	<p>प्रार्थी / वादी / अपीलोट के वकील श्री <u>रुगा राम शियाग</u> ने यह प्रार्थना पत्र / वाद / अपील धारा <u>98, 188</u> राजस्थान काश्तकारी अधिनियम / भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी <u>रेस्पोंडेंट जरीये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 13/1/22</u> को पेश हो।</p>	
15/7/22	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीनी उपस्थित। वकील वादीनी द्वारा प्रतिवादी के समक्ष एक ड्राफ्ट लेकर रखी है। पेश की। रखी है। वकील वादीनी ने गरी प्रतिवादी को 10/2 के वकील को एक प्रतिवादी को 7/10/22 को पेश है।</p>	<p>598 गोलेया / 17/1/22</p>
22/8/2022	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीनी उपस्थित। वकील वादीनी द्वारा प्रतिवादी के समक्ष एक ड्राफ्ट लेकर रखी है। पेश की। रखी है। वकील वादीनी ने गरी प्रतिवादी को 10/2 के वकील को एक प्रतिवादी को 7/10/22 को पेश है।</p>	

सहायक कलेक्टर
SDO (गुडामालानी)

सहायक कलेक्टर, गुडामालानी

सहायक कलेक्टर
S.D.O. गुडामालानी

नम्बर
जो इस हुक्म
में जारी हुए

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर य तारीख अहकाम
जो इस हुक्म की तामील
में जारी हुए

1565/25

पत्रावली अंज पेश हुई। वकीलवाद
अनुपस्थित। चाडीगण स्वयं अनुपस्थित।
चाडीगण को मय अदिवक्तता कोर्ट
समय में तीन बार तीन-तीन आवजों
दिलाई गई। बावजूद आवजें दिलाई
के चाडीगण एवं चाडीगण के अदिवक्तता
के अनुपस्थित रहने से अदिवक्त
आवज प्रकरण चाडीगण की अदिवक्तता
अदिवक्तता के अदिवक्तता किया जाता
है पत्रावली केसल सुमार होकर
दफ्तर दफ्तर में